न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2021
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/00006

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्रीमती नाथी देवी पत्नि श्री चांदमल जैन, जाति जैन निवासी बडौदिया, तहसील तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

तहसीलदार बागीदौरा जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजकुमार जैन, एडवोकेट

राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील बागीदौरा, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 04/2020 अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956, सह पठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 निर्णय दिनांक 22–12–2020 के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 24.03.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्रीमती नाथी देवी पत्नि श्री चांदमल जैन राजस्व ग्राम बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा में स्थित सर्वे नं. 809 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 810 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 811 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि पर काबिज थी। पटवारी हल्का बडौदिया अनुसार उक्त बिलानाम श्रीसरकार भूमि पर अपीलांट ने फसल मक्का की बुवाई कर आराजीयान के चारो तरफ पक्की बाउन्ड्रीवॉल तथा उसमें एक कमरा लगभग 300 वर्गफीट का बना कर अतिक्रमण करने सम्बन्धित रिर्पोट तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सहपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत प्रकरण [illegible] सुनवाई के पश्चात् दिनांक 22.12.2020 को अतिक्रमी का बेदखल करने निर्णय पारित किया [illegible] अपील लेकर अपीलांट द्वारा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये समन् तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई।

अपील मे अपीलान्ट का कथन है कि उक्त कृषि भूमि का कृषि के अलांवा अन्य कोई उपयोग नही हो सकता। अपीलांट भूमि का उपयोग कृषि कार्य में कर रही है। पटवारी रिर्पोट से भी यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि में अपीलांट की फसल खडी है। अपीलांट द्वारा फसल की रक्षा हेतु चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। कृषि उपज, घास एवं मवेशी बांधने के लिये कमरा बना रखा है। उक्त भूमि पर करीब 30 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है। तहसीलदार बागीदौरा ने अपीलांट का सद्भावी कृषक होना एवं लम्बे समय से काबिज. होकर काश्त करने के तथ्य को अतिक्रमी मानकर उक्त आदेश परित किया है। अतः उक्त आदेश को निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 17.03.2021 को दोनो पक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा में स्थित सर्वे नं. 809 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 810 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 811 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर पर अपीलांट करीब 30 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज एवं काश्त करती आ रही है तथा प्रतिवर्ष तहसीलदार बागीदौरा द्वारा नोटिस देने पर पैनल्टी की रकम जमा कराती चली आ रही है। भूमि नियमन की कार्यवाही उपखण्ड कार्यालय में विचाराधीन है। तहसीलदार बागीदौरा ने इस पर विचार नही कर बेदखली के आदेश पारित कर भूल की है। अपील अपीलांट स्वीकार करने व तहसीलदार बागीदौरा के प्रकरण सं. 04/2020 के आदेश दिनांक 22.12.2020 को निरस्त करने तथा पत्रावली नियमन हेतु रिमाण्ड करने निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी हल्का बडौदिया अनुसार उक्त बिलानाम श्रीसरकार भूमि पर अपीलांट ने फसल मक्का की बुवाई कर आराजीयान के चारो तरफ पक्की बाउन्ड्रीवॉल तथा उसमें एक कमरा लगभग 300 वर्गफीट का बना कर अतिक्रमण की रिर्पोट तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार बागीदौरा द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सपठित धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत प्रकरण दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करना स्वीकार किया है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के कार्यालय में प्रस्तुत नियमन के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्थगन बावत् कोई साक्ष्य पेश नही किया जिसके पश्चात् तहसीलदार बागीदौरा द्वारा दिनांक 22.12.2020 को अतिक्रमी का बेदखल करने निर्णय पारित किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। तहसीलदार बागीदौरा न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2020 को अपास्त कर अपीलांट को न्यायहित में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.25 16:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner